राजकीय प्रयोग
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 05/अपील/2022 दायरा दिनांक :– 06.04.2022

GCMS ID–2022/278

1. गुलाब बाई आयु 88 वर्ष पुत्री स्व. श्री मुरा जी जाति गुर्जर निवास ग्राम पंच की बावडी हाल पत्नी सोला जी जाति गुर्जर निवासी नरसिंहपुरा मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी (राज०)

अपीलांटस

बनाम

1. बरधी बाई पुत्री स्व. श्री कंवरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम पेंच की बावड़ी हाल पत्नी तेजा जाति गुर्जर निवासी ग्राम काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. हीरा बाई पुत्री स्व. श्री कंवरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम पंच की बावड़ी हाल पत्नी गेंदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुखपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. मन्नी बाई पुत्री कंवरा जी जाति गुर्जर ग्राम पेंच की बावडी हाल पत्नी गोबरी लाल गुर्जर निवासी गौरसिया का खेड़ा तह० हिण्डोली जिला बून्दी
4. हीरा पुत्र भू भूरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम पेंच की बावड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. मोरपाल पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी ग्राम पेंच की बावड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. रंगलाल पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी ग्राम पेंच की बावड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
8. ग्राम पेच की बावडी द्वारा सरंपच ग्राम पंचायत पेच की बावडी

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 154 दिनांक 18.01.1983
ग्राम पेंच की बावडी, तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी
अपील अंतर्गत धारा :– 75 (1) (डी) भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–
अपीलांट की ओर से – श्री चन्द्रप्रकाश जैन
रेस्पोडेन्ट की ओर से – जबाव बन्द।

निर्णय

दिनांक :–27/02/2026

अपील के तथ्य संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 350, 351, 352, 357 359, 542, 543, 551, 552, 553, 554, 555, 556,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 54, 565, 586, 587, 588, 589, 631, 632, 633, 634, 635 कुल किता 31 कुल रकबा 45 बीघा 08 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत् 2053–2066 के अनुसार ग्राम पेंच की बावड़ी में अंकित है। जिसके खातेदारान भूरा, कंवरा व गोपी पिसरान देवा गुर्जर निवासी ग्राम पेंच की बावडी बराबर बराबर के हिस्सेदार थे। जिनमें भूरा जी का स्वर्गवास हो चुका है। मुरा जी का वारिसान अपीलान्ट गुलाब बाई गोदपुत्र हीरा रेस्पोडेंट संख्या 4 है। कंवरा जी का भी स्वर्गवास हो चुका है। उनके वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 03 तथा पत्नी हरकू व एक पुत्र सुवा थे। वर्तमान में हरकू व सुवा का भी स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्ट द्वारा अपने पुश्तेनी भूमि में आने वाले हिस्से का बंटवारा करवाने के लिए शेष वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 04 से सम्पर्क किया तो उन्होंने बटवारा करवाने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारा कोई हिस्सा इन जमीनों में नहीं है। अपीलान्ट ने राजस्य विभाग से व अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर जानकारी करी तो पता चला कि इन्तकाल संख्या 154 ग्राम पंचायत पेंच की बावडी द्वारा फोती रूप से खोला गया जिसमें मुरा जी के वारिसान के स्थान पर मुरा जी को लाओलाद मरना बताया है। और उसकी पत्नी लोढकी व गोद लिये लडके हीरा को ही वारिसान बताकर उक्त इंतकाल खोल दिया है। जबकि अपीलाण्ट मृतक भुरा की लडकी है। अपीलांट ने जानकारी होने पर दिनांक 16.3.22 को आवेदन किया नकल प्राप्त हुई उससे सम्पूर्ण तथ्यों का ज्ञान हुआ। जिससे असंतुष्ट होकर निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 18.1.1983 वस्तुस्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। मृतक भुरा के विधिक वारिसान वर्तमान मे अपीलांट व रेस्पोडेंट सं० 4 थे लेकिन इंतकाल खोलते समय विधिक वारिसों की सही जांच नहीं कर केवल मात्र हीरा व लोडकी को इंतकाल खोलने में भारी भुल की है वर्तमान में लोडकी का भी स्वर्गवास हो चुका है उसके वारिसान भी अपीलांट व रेस्पोडेंट से 4 है। अपीलान्ट गुलाबबाई मृतक भुरा की विधिक वारिस उक्त इन्तकाल की जाँच कर सम्पूर्ण विधिक वारिसों के नाम इन्तकाल खोला जाने की आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय में ओर भी कई वैधानिक दोष है जो वक्त बहस मौखिक रूप से निवेदन कर दिये जायेंगे। इन्तकाल दिनांक 18.1.83 को खुला जिसकी जानकारी दिनांक 16.3.22 को रेस्पोडेंट सं० 4 से बटवारा की कहने व रेकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि 18.1.83 को भुरा की वारिसों में अपीलांट का नाम नहीं है अपीलांट ने उसी दिन नकल हेतु आवेदन पेश किया नकल 16.3.22 को प्राप्त हुई इंतकाल दिनांक 18.1.83 से जानकारी दिनांक 16.3.22 तक का समय मुजिरा दिये जाने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का आवेदन पृथक से प्रस्तुत है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेंट सं० 8 गाम पेच की बावडी द्वारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा किया गया है। अतः श्रीमान् को उक्त अपील का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अपील उचित न्याय शुल्क व उचित तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोले गये इन्तकाल संख्या 154 दिनांक 18.1.1983 को निरस्त किया जाकर मृतक भुरा के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

सम्पूर्ण विधिक वारिसान के नाम इन्तकाल खोला जाने की आज्ञा प्रदान करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो अपीलान्ट को दी जाये।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 व 8 को पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने से जवाब बंद किया गया। रेस्पोडेंटस संख्या 7 फोरमल पक्षकार होने से जवाब आवश्यकता नहीं है।

हमने पत्रावली पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई, जो कि मुख्य रूप से अपील के अनुसार रही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस अपीलांट पर मनन किया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 154 दिनांक 18.01.1983 से रेस्पो0 1 से 6 के हित में विरासत का इंतकाल खोला गया है। अपीलांट द्वारा स्वयं को भूरा गुर्जर की पुत्री होना कथन करते हुए उसका नाम फौती इन्तकाल में दर्ज नहीं किए जाने से विवादित नामान्तकरण को निरस्त कर मृतक भूरा के समस्त वारिसान की जॉच कर पुनः नामान्तकरण दर्ज किए जाने का निवेदन किया है। विवादित नामान्तकरण संख्या 154 के अवलोकन पर भूरा का लाऔलाद फौत होना व उसकी पत्नी लोडकी बाई द्वारा भूरा के सगे भाई कंवरा के लडके हीरा को गोद रखना अंकित किया हुआ है। अन्य कोई वारिसान का अंकन नहीं है।

अपीलांट द्वारा स्वयं को मृतक भूरा की पुत्री होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट संदेह से परे साबित नहीं हो रही है।

अतः अपील अपीलांट साक्ष्य के अभाव में/संदेह से परे साबित नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैलस शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक :– 27.02.2026 को सुनाया गया।

27/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली